

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर

क्रमांक: F.35(I)Kharif-II/INPUT-SUBSIDY-2078/5836 | 13C1-12

दिनांक: 06/06/2022

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: ASI/AGRI/2078/BAR/0004531

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2078 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के सूखा प्रकोप से प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2078 (खरीफ-II 2021) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
सिणधरी	486	Other Than SMF	75%-100%	6111442
रामसर	286	Other Than SMF	75%-100%	3607715
पचपदरा	485	Other Than SMF	75%-100%	6033723
सेड़वा	731	Other Than SMF	75%-100%	9349481
धौरीमन्ना	190	Other Than SMF	75%-100%	2162984
सिवाना	58	Other Than SMF	75%-100%	669392
कल्याणपुर	561	Other Than SMF	75%-100%	6978412
धनाऊ	92	Other Than SMF	75%-100%	990284
गडरारौड	104	Other Than SMF	75%-100%	1340552
बाड़मेर	975	Other Than SMF	75%-100%	11685745
नौखरा	165	Other Than SMF	75%-100%	2075207
गुडामालानी	262	Other Than SMF	75%-100%	3404631
बायतु	267	Other Than SMF	75%-100%	3446018
गिड़ा	849	Other Than SMF	75%-100%	11182719
शिव	325	Other Than SMF	75%-100%	4392981
योग	5836			73431286

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-(06)-12 बजट मद पर भारित होगी।

low
जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

1361-62

दिनांक - 31/6/22

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर
6. अति. जिला कलेक्टर, बाड़मेर
7. तहसीलदार, राजमठ
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बाड़मेर
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर, बाड़मेर
10. रक्षित पत्रावली।

low
जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर

क्रमांक: F.35(I)Kharif-II/INPUT-SUBSIDY-2078/4301 / 1363

दिनांक: 07/06/2022

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2078/BAR/0004533

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2078 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के सूखा प्रकोप से प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2078 (खरीफ-II 2021) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है:-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
बाड़मेर	86	Other Than SMF	50%-75%	993790
गुदामालानी	97	Other Than SMF	50%-75%	1196460
धौरीमन्ना	274	Other Than SMF	50%-75%	3325565
गिड़ा	4	Other Than SMF	50%-75%	31756
चौहटन	947	Other Than SMF	50%-75%	11071080
गडदाराड	685	Other Than SMF	50%-75%	8164150
मोखरा	10	Other Than SMF	50%-75%	118496
बायतु	26	Other Than SMF	50%-75%	312089
सेड़वा	577	Other Than SMF	50%-75%	6128395
शिव	259	Other Than SMF	50%-75%	3312253
रामसर	382	Other Than SMF	50%-75%	4597677
सिवाना	104	Other Than SMF	50%-75%	672448
धनाड	614	Other Than SMF	50%-75%	7140007
सिंगधरी	236	Other Than SMF	50%-75%	2840224
योग	4301			49904390

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[06]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर
6. अति. जिला कलेक्टर, बाड़मेर
7. तहसीलदार, बाड़मेर
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बाड़मेर
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर, बाड़मेर
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर

क्रमांक: F.35(J)Kharif-II/INPUT-SUBSIDY-2078/437 /1365

दिनांक: 07/06/2022

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2078/BAR/0004534

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2078 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के सूखा प्रकोप से प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2078 (खरीफ-II 2021) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
सेड़वा	9	Other Than SMF	33%-50%	96458
बाड़मेर	137	Other Than SMF	33%-50%	1540449
शिव	40	Other Than SMF	33%-50%	543660
सिवाजा	6	Other Than SMF	33%-50%	51874
समदडी	23	Other Than SMF	33%-50%	232333
गडरारोड	188	Other Than SMF	33%-50%	2191640
सिणधरी	34	Other Than SMF	33%-50%	293624
योग	437			4950038

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[06]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

Low
जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर
6. अति. जिला कलेक्टर, जयपुर
7. तहसीलदार, जयपुर
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर, जयपुर
10. रक्षित पत्रावली।

1366 दिनांक - 7/6/2022

Low
जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर

क्रमांक: F.35(I)Kharif-II/INPUT-SUBSIDY-2078/5101 / 1367

दिनांक: 06/06/2022

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2078/BAR/0004528

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2078 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के सूखा प्रकोप से प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2078 (खरीफ-II 2021) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
चौहटन	1	SMF	75%-100%	10540
मिडा	523	SMF	75%-100%	3061420
बाड़मेर	1063	SMF	75%-100%	5074259
धौरीमन्ता	93	SMF	75%-100%	525026
सिवाना	201	SMF	75%-100%	809758
बायतु	161	SMF	75%-100%	942468
सेड़वा	720	SMF	75%-100%	4662693
सिणधरी	349	SMF	75%-100%	2046584
नोखरा	154	SMF	75%-100%	876826
गुडामालानी	332	SMF	75%-100%	1789533
कल्याणपुर	446	SMF	75%-100%	3276988
रामसर	282	SMF	75%-100%	1583118
शिव	180	SMF	75%-100%	1318003
धनाड	71	SMF	75%-100%	251260
पचपदरा	525	SMF	75%-100%	2891785
योग	5101			29120261

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[05]-12 बजट मद पर भारित होगी।

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 1368

दिनांक 7/6/2022

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर।
6. अति. जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
7. तहसीलदार, बाड़मेर।
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बाड़मेर।
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर

क्रमांक: F.35(J)Kharif-IV/INPUT-SUBSIDY-2078/3112 | 1369

दिनांक: 06/06/2022

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2078/BAR/0004529

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2078 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के सूखा प्रकोप से प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2078 (खरीफ-II 2021) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
मिडा	2	SMF	50%-75%	5848
बाड़मेर	95	SMF	50%-75%	404563
चौहटन	714	SMF	50%-75%	3219290
गुठामालानी	113	SMF	50%-75%	486744
रामसर	129	SMF	50%-75%	748456
सिवाना	155	SMF	50%-75%	352147
गडाराड	30	SMF	50%-75%	229908
नोहरा	11	SMF	50%-75%	39633
सिणधरी	128	SMF	50%-75%	573345
बायतु	17	SMF	50%-75%	82366
धौरीमन्ना	166	SMF	50%-75%	988655
सेइवा	689	SMF	50%-75%	2887212
धनाऊ	817	SMF	50%-75%	3732005
शिव	46	SMF	50%-75%	435546
बोग	3112			14185718

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[05]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 1370

दिनांक - 7/6/2022

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाड़मेर।
6. अति. जिला कलेक्टर बाड़मेर।
7. तहसीलदार बाड़मेर।
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी बाड़मेर।
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर बाड़मेर।
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर

क्रमांक: F.35(J)Kharif-II/INPUT-SUBSIDY-2078/256 11371

दिनांक: 06/06/2022

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2078/BAR/0004530

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2078 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के सूखा प्रकोप से प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2078 (खरीफ-II 2021) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
सिणधरी	33	SMF	33%-50%	125481
सिवाना	7	SMF	33%-50%	14949
सेइवा	9	SMF	33%-50%	39451
बाड़मेर	151	SMF	33%-50%	579270
समदड़ी	27	SMF	33%-50%	86131
गडारोड	8	SMF	33%-50%	83980
शिव	21	SMF	33%-50%	139808
योग	256			1069070

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कृषकों हेतु 2245-01-800-(03)-[05]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 1372

दिनांक - 6/6/2022

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर।
6. अति. जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
7. तहसीलदार, बाड़मेर।
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बाड़मेर।
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
बाड़मेर